

## डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाड़ा व इजलास : पर्वत सिंह चुण्डावत (आरएएस)  
प्रकरण संख्या 34/2016

उनवान मुकदमा

श्रीमती कंकु पत्नी श्री रविन्द्रनाथ पत्नी श्री रविन्द्रनाथ जाति भील उम्र वयस्क पेशा  
खेती निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा (राज.)

वादी

बनाम

1. देवीलाल पिता मनजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. रमेश पिता मनजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. दिवु पिता मनजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. बापू पिता मनजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. प्रभु पिता मनजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. दिनेश पिता मनजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. भरत पिता मनजी जाति भील उम्र नाबालिग सरपरस्त माता सकन बैवा रामचन्द्र निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. सकन बैवा रामचन्द्र जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. मोती पूत्री हमीरा जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-भचडीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. गलबी पुत्री हमीरा जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासीयान ग्राम गारीया-लोधा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील बांसवाड़ा (राज.)

—: प्रतिवादीगण

### दावा अन्तर्गत धारा 53 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-27.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजरी वादी अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है :-

संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2019 को उक्त प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री जारी कर बँटवारा नामा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बांसवाड़ा को आदेशित किया गया था । तहसीलदार बांसवाड़ा ने उक्त निर्णय की पालना में अपने पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 08.11.2019 द्वारा विभाजन के प्रस्ताव दा परतो में तैयार कर नक्षा ट्रेस सहित प्रस्तुत किया है । जिस पर खूले न्यायालय में उभयपक्ष की दिनांक 01.01.2020 को बहस सूनी जाकर विस्तृत निर्णय पत्रावली में फर्द अहकाम पर पृष्ठांकित

उपखण्ड अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज.)



किया गया है। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वीकार कर अंतिम डिक्री पर्चा मय स्टाम्प ड्यूटी जारी कर तहसीलदार बांसवाडा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रस्तुत पालनानुसार वादी व प्रतिवादी के बीच बँटवारा कर, नामान्तरकरण खोलकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

इस निर्णय की डिक्री में खर्चा मुकदमा पक्षकारान का, मुबलिग पक्षकारान का शून्य बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसबत मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 27.01.2020 को जारी की गई।

क्र.सं.	नाम काशतकार	आराजी नंबर	रकबा (बीघा-बिस्वा में)	लगान
1	कंकु पत्नि रविन्द्र पारगी भील खातेदार	238/1	3-00	4.38
		239/1	2-05	2.72
		240/1	0-05	-
	योग	3	5-10	7.10
2	देवीलाल पिता रूपा 50/344, रमेश, दिवु, बापू, प्रभु पिता मनजी भरत पिता रामचन्द्र ना.बा.स. माता सकन, सकन बेवा रामचन्द्र 112/344, गलबी पुत्री हमीरा 91/344, मोती पुत्री हमीरा 71/344, विठली बेवा रूपा 20/344 भील निवासी गारियापाडा	238/2	6-19	10.15
		239/2	9-16	11.86
		240/2	0-09	-
	योग	3	17-04	22.01

h  
(पर्वत सिंह चुण्डावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
बासवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य



h  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बासवाडा (राज.)